



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277222
CG-DL-E-17102026-277222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 631]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

फा. सं. एसएस-टी0एसपी02(अधि)/1/2025-मानक-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, जो कि इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो, तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2026 है।
 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अंतर्गत 'अवशिष्ट' से संबंधित विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.1 में, तालिका में, -
- (1) एसिटमपरिड से संबंधित क्रम संख्या '3' के सामने, स्तंभ (3) और (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य	अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) मिग्रा/किग्रा में
(3)	(4)
"चाय	20";

- (2) इमाईडेक्लीपरिड से संबंधित क्रम संख्या '103' के सामने, स्तंभ (3) और (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य	अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) मिग्रा/किग्रा में
(3)	(4)
"चाय	50"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./400/2026-27]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अधिसूचनासंदूषक/2021-22, तारीख 14 मई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2026

F. No. SS-T0SP02(NOTI)/1/2025-Standard-FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (j) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections and suggestions, which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2026.
2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in Regulation 2.3 relating to 'Residues', in sub-regulation 2.3.1, in the Table, -
 - (1) against serial number '3' relating to Acetamiprid, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely: -

Food	Maximum Residue Limit (MRL) mg/kg
(3)	(4)
"Tea	20";

- (2) against serial number '103' relating to Imidacloprid, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely: -

Food	Maximum Residue Limit (MRL) mg/kg
(3)	(4)
"Tea	50".

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./400/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F.No. 01/SP -02/S&S/NotificationContaminants/2021-22, dated the 14th May, 2026.